क्र.सं. 2 (निर्णय)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 एए/1/2012/एसटीजीएमपी/डीईएलएएएल/आर.यू.-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 21-3-2012

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला-मुरैना,
मध्य प्रदेश

विषय: आदिवासी व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर गैर-आदिवासी भू-माफिया व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए कब्जे को हटवाने के संबंध में श्रीमती रायको, श्रीमती जानुकी एवं श्रीमती दवखो पुत्री स्व0 श्री ढम्मू आदिवासी, ग्राम-बढ़ोदाकला, तहसील-विजयपुर, जिला-मुरैना (मध्य प्रदेश) द्वारा संयुक्त शिकायती अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री अशोक अर्गल, सांसद (लोक सभा) द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष को लिखित पत्र दिनांक 07-03-2012 के साथ प्राप्त श्रीमती रायको, श्रीमती जानुकी एवं श्रीमती दवखो पुत्री स्व0 श्री ढम्मू आदिवासी, ग्राम-बढ़ोदाकला के संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक 06-03-2012 की छायाप्रति आपको संलग्न करने का निदेश हुआ है।

अभ्यावेदन के अवलोकन से प्रतीत हुआ है कि श्री ढम्मू पुत्र अमान, सहरिया अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भू-स्वामित्व की ग्राम बड़ौदा कलाँ पटवारी हल्का नं. 29 में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1457 रकबा 5।)1 को उनके मृत्यु के उपरान्त भू-माफिया स्व0 श्री परसा पुत्र गयाजीत, जाति किरार और उसके भू-माफिया पुत्रगण श्री उत्तम, घनश्याम और छत्रपति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हथियाने का षड्यंत्र किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/80-81/(अ-2) में दिनांक 28-05-1982 को उक्त भूमि प्रार्थीगण को वापिस लौटाये जाने का आदेश प्रारित किया गया फिर भी गैर-आदिवासी भू माफिया श्री परसराम पुत्र गयाजीत ग्राम बड़ौदा कलां ने उक्त भूमि पर प्रशासनिक मिली भगत से अपने नाम नामान्तरण करवा लिया गया।

इस प्रकार एक आदिवासी परिवार की पुस्तैनी भूमि पर षड्यंत्र करते हुए अनुविभागीय अधिकारी, विजयनगर के आदेश दिनांक 28-05-1982 को दरकिनार कर गैर-आदिवासी भू-माफिया व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv & v) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने भूमि संबंधित मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच तथा चर्चा के लिए दिनांक 10-04-2012 को अपराह्न 1.00 बजे आपकी पेशी/उपस्थिति निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में चर्चा एवं सुनवाई हेतु प्रकरण से संबंधित मूल सभी दस्तावेजों सहित उक्त अनुसूचित तिथि को आयोग में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.डी.बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिसूचनार्थः

1. श्रीमती रायको, निवासी ग्राम सुनखोरा गसवानी, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (मध्य प्रदेश)
2. श्रीमती जानुकी, निवासी बूढदा, जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
3. श्री राजाराम एवं मांगी लाल पत्र स्वर्गीय श्रीमती दक्खो, बेनीपुरा, जिला श्योपुर (मध्य प्रदेश)

(के.डी.बन्सौर)
उप निदेशक

प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु: -
1- सहायक निदेशक, रा० अनु० जन० आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को।

कार्यालय

प्रति:
(i) अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक,
(ii) संयुक्त सचिव के निजी सचिव,
(iii) एन.आई.सी. (NIC),